छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकरनगर, रायपुर

अपील क्रमांक 55/2006

श्री एच.एन.मिश्र, **3/8, प्रियदर्शिनी** **परिसर (पूर्व),** **पोस्ट–सुपेला,** **जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)**	. . . . .	**अपीलार्थी**

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी **नगर निगम, भिलाई** **जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)**	. . . . .	**प्रतिअपीलार्थी**

:: आदेश ::

(10 मई 2006)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एच.एन.मिश्र, प्रियदर्शिनी परिसर, सुपेला (भिलाई), जिला–दुर्ग ने 22–11–2005 को रिकार्ड का निरीक्षण करने के लिए एक आवेदन नगर निगम, भिलाई में प्रस्तुत किया था। किन्तु अभी तक निरीक्षण न कराये जाने के कारण उन्होंने दिनांक 24–12–2005 को अपील प्रस्तुत की। किन्तु अभी तक अपील का भी निर्णय नहीं हुआ है, जिससे असंतुष्ट होकर उन्होंने आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी सुनवाई के दिन अनुपस्थित थे। अतः उनकी अनुपस्थिति में प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, नगर निगम, भिलाई की सुनवाई की गई, जिन्होंने लिखित उत्तर भी पेश किया। इस संबंध में नगर निगम का यह कहना है कि उन्होंने निरीक्षण की तारीख निर्धारित करके 16–12–2005 को अवलोकन की सूचना जारी की थी, जिसे

अपीलार्थी ने लेने से इंकार किया था। अपीलार्थी ने अपने अपील में इस सूचना को फर्जी बताया और उनका कहना था कि उन्हें सूचना देने के संबंध में कुटरचना की गई। किन्तु उनके द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। अतः जन सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये उत्तर पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। इसी प्रकार से जो अपील इनके द्वारा प्रस्तुत की गई है वह अपर संचालक, नगरीय प्रशासन के यहां की गई है और बाद में संभवतः अपील अधिकारी ने परिवर्तन करके आयुक्त, नगर निगम को अपील अधिकारी नियुक्त किया गया है। संभवतः इसके कारण ही इसमें आगे विचार न हुआ हो। यह अपील वापस स्थानांतरित किया भी या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी स्वयं दिनांक 25–05–2006 को निरीक्षण के लिए नगर निगम, भिलाई के जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हों और उन्हें निःशुल्क निरीक्षण करवाया जाये। यदि उक्त दिनांक को वे उपस्थित न हो सकें तो नगर निगम कार्यालय जाकर अन्य उपयुक्त दिनांक ले सकते हैं।

उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त